संख्या-60/2022/421/24-1-22-1833/2015टी0सी0-4

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 31 मार्च, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में पुनर्विनियोग के माध्यम से दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अनतर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-2058/अधि0नि0(वित्त)2निधि-।।/आय-व्ययक-2021-22/407, दिनांक 18 फरवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-05-संचरण तथा वितरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-09-विद्युत वितरण क्षेत्र की अवस्थापना योजनाओं हेतु पी0एफ0सी0 से लिए गये ऋण का पुनर्भुगतान हेतु यू0पी0पी0सी0एल0 को अंशपूॅजी-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित 729,16,65,000/- (रूपये सात सौ उनतीस करोड़ सोलह लाख पैंसठ हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 62,49,57,000/- (रूपये बासठ करोड़ उनचास लाख सत्तावन हजार मात्र) एवं लेखा शीर्षक 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-10-दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/सौभाग्य योजना हेतु अतिरिक्त इन्फ्रा के दिनांक 01.07.2017 के उपरान्त के कार्यों के सापेक्ष संविदाकारों द्वारा राजकोष में जमा नेट एस0जी0एस0टी0 (इन्पुट टैक्स क्रेडिट घटाकर) की डिस्काम को प्रतिपूर्ति-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 1500,00,00,000/- (रूपये एक हजार पॉच सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि में से धनराशि रूपये 23,38,86,000/- (रूपये तेइस करोड़ अड़तीस लाख छियासी हजार मात्र) अर्थात् कुल धनराशि रूपये 85,88,83,000/- (रूपये पचासी करोड़ अठ्ठासी लाख तिरासी हजार मात्र) को संलग्नक बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक-"4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति-30-निवेश/ऋण" में निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) जिस मद से पुनर्विनियोग किया गया हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि का व्यय किया जायेगा।

(2) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद की सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा।

(3) पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इसका समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(4) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(5) किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता का उत्तरदायित्व निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 का होगा।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निदेशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण संबंधित डिस्काम्स को संलग्नक में उल्लिखित कार्यदायी संस्थाओं के भुगतान हेतु किया जायेगा एवं उक्त धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस मद में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल धनराशि रूपये 85,88,83,000/- (रूपये पचासी करोड़ अठ्ठासी लाख तिरासी हजार मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-05-

http://shasanadesh.up.nic.in

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना/दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत वैट के भुगतान की प्रतिपूर्ति-30-निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3495-दस-2021-22, दिनांक 31 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या-60/2022/421(1)/24-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in